

बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अधीन स्वाभाविक मृत्यु के मामले में अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा प्रपत्र के पेपर चाहिए।

प्रपत्र-1

- (1) मृत्यु प्रमाण पत्र।
- (2) वोटर आई कार्ड मृतक एवं नोमिनी।
- (3) नोमिनी बैंक A/c का फोटो कॉपी चाहिए।
- (4) क्लेम फार्म पर साइन नोमिनी द्वारा।
- (5) आश्रित प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
- (6) मृतक का अवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- (7) मृतक का नियोजन के कार्य की प्रकृति के संबंध में मुखिया/पंचायत के वार्ड सदस्य/पंचायत समिति के सदस्य/शहरी क्षेत्र के वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
- (8) शपथ-पत्र।
- (9) साक्षी का हस्ताक्षर एवं नाम पता क्लेम फार्म पर होना चाहिए।

नोट: मृत्यु तारीख 31.03.2011 के बाद का होना चाहिए।